न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22/2020

उनवान

शैलेन्द्रसिंह चौहान पिता राजेन्द्रसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी उम्बाड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) कृष्णाकुंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी उम्बाड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(2) प्रेमकुंवर पत्नि स्व0 श्री भगवानसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी उम्बाड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 31.3.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम उम्बाड़ा पटवार हल्का उम्बाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में खाता स्थित है। जिसमें खाता संख्या नया 39 व पुराना 39 के कुल सर्वे नम्बर 03 रकबा 2.24 हे0 भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से लम्बे समय से उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी को अपने खाते की भूमि की नकल लेने पर पता लगा कि उसके खाते में त्रुटीवंश शैलेन्द्रसिंह की जगह चिलेन्द्रसिंह नाम अंकित हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शैलेन्द्रसिंह चौहान है। उसी नाम से मेरे नाधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, राशन कार्ड, कक्षा दसवी की अंकतालिका आदि में मेरा नाम शैलेन्द्रसिंह चौहान लिखा हुआ है। किन्तु मेरी संयुक्त खातेदारी भूमि में मेरा नाम चिलेन्द्रसिंह लिख दिया गया है। जो गलत होकर मेरा वास्तविक नाम शैलेन्द्रसिंह चौहान है। जिसकी दुरस्त किये जाने धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की सभी चरणों को स्वीकार किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम उम्बाड़ा की खाता संख्या 39 की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की प्रविष्ठि संख्या 02 पर प्रार्थी का नाम चिलेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्र सिंह संरक्षक स.प. माता कृष्णाकुंवर हिस्सा 1/4 सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रृटि से गलत दर्ज हो गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चिलेन्द्रसिंह के स्थान पर शैलेन्द्रसिंह किया जाना उचित बताया।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, खाता संख्या 39 (नया) 39 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान—पत्र, अंकतालिका, परिवार राशन कार्ड आदि की छाया प्रतिया एंव तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब [illegible] करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम उम्बाड़ा की खाता संख्या 39 (नई) 39 (पुरानी) के कुल किता 03 रकबा 2.24 हे0 भूमि में दर्ज [illegible] के स्थान पर शैलेन्द्रसिंह बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner